

बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, अहमदाबाद और सूरत में वायु प्रदूषण का स्तर

2925. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, अहमदाबाद और सूरत में आन्तरिक वायु प्रदूषण बाह्य प्रदूषण से दस गुना अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और तत्संबंधी ब्यौर क्या है, और

(घ) इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़):

(क) आन्तरिक वायु प्रदूषण से अभिप्राय भीतरी वायु गुणवत्ता से है जो कि कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे कि निवासियों के कार्यकलाप, संवातन प्रणाली, तापन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन की प्रकृति और गुणवत्ता आदि। भीतरी और बाहरी प्रदूषण कितना-कितना है, उसके बारे में कोई सामान्य विवरण देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने भीतरी वायु प्रदूषण के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किए हैं। हालांकि मेसर्स आर्कटिक इण्डिया सेल्स द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े यह बताते हैं कि कार्बनडाइ आक्साइड जमाव के रूप में भीतरी वायु प्रदूषण अधिक है, किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि भीतरी वायु प्रदूषण का स्तर बाहरी वातावरण के प्रदूषण से दस गुणा अधिक है।

(घ) भीतरी वायु प्रदूषण काई समस्या मुख्यतः हवा के आने-जाने (संवातन) की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता पैदा कि जाए और भवनों का इस प्रकार से उचित डिजाइन तैयार किया जाए ताकि उनमें प्राकृतिक संवातन बना रहे। भीतरी और बाहरी प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसमें एक राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा

कार्यक्रम है और दूसरी राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, जिसमें परिवार के आकार के अनुसार बायोगैस संयंत्र उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और अन्य प्रोत्साहन दे रही है ताकि भीतरी वातावरण में से धुएँ के स्तर में कमी लाई जा सके अथवा इसे समाप्त किया जा सके।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रदूषकों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(5) उद्योगों को स्थान दिलाए जाने और उनको चलाने के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(6) बड़े आकार की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रभव मूल्यांकन तथा उससे जुड़े अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।

(7) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अधीन वाहन उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(8) चार महानगरों में कैटेलेटिक कनवर्टर लगे वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल को शुरुआत की गई है।

देश में 'प्रोजेक्ट टाइगर' क्षेत्रों की संख्या

2926. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के अंतर्गत किन-किन राज्यों में कितने वन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक प्रत्येक वर्ष में किन-किन राज्यों एवं किस-किस 'प्रोजेक्ट टाइगर' क्षेत्र में कितने-कितने व्यक्ति बाघों/शेरों का शिकार हुए और प्रत्येक मृतक के परिवार को मुआवजे की कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़):

(क) एक भिवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखा दी जाएगी।

विवरण

देश में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के अंतर्गत आरक्षित किए गए वन-क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	बाघ रिज़र्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (वर्ग कि० मी० में)
1.	बांदीपुर	कर्नाटक	866
2.	कावेर	उत्तर प्रदेश	1316
3.	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	मानस	असम	2840
5.	मेलघाट	महाराष्ट्र	1597
6.	पलामू	बिहार	1026
7.	रणथम्भौर	राजस्थान	1334
8.	सिमिलीपाल	उड़ीसा	2750
9.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	पेरियार	केरल	777
11.	सरिस्क्र	राजस्थान	866
12.	बक्स	पश्चिम बंगाल	759
13.	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश	3568
15.	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश	1985
16.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811
17.	कलाकड-मुंदनथुराई	तमिलनाडु	800
18.	वालमिक	बिहार	840
19.	पेंच	मध्य प्रदेश	758
20.	तदीबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	1162
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	542
23.	दम्फा	मिज़ोरम	500
			33046

Final Environmental Impact Report on Maharashtra

2927. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1457 given in the Rajya Sabha on the 5th December, 1996, and state:

(a) when Government of Maharashtra was requested to submit the final Environmental Impact Report;

(b) whether final Environmental Impact Report has been received from Maharashtra Government; and

(c) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT & FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) A comprehensive Environmental Impact Assessment report has been submitted by Government of Maharashtra in November, 1996 to Ministry of Environment & Forests.